

राजस्थान उच्च न्यायालय

जयपुर बेंच

डी.बी. आयकर अपील संख्या 144/2019

विनोद सिंह पुत्र स्व. राम गोपाल सिंह, पी. नंबर 13-14 ओम कॉलोनी, दिल्ली बाई पास,
जय सिंह पुरा, खोरे, जयपुर 302002

----अपीलकर्ता

बनाम

आयकर अधिकारी, वार्ड 5(1) जयपुर राजस्थान

----उत्तरदाता

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री ईश्वर तिवारी
प्रतिवादी(ओं) के लिए : श्रीमती जया पी. पाठक के साथ
श्री. संदीप पाठक

माननीय श्री जस्टिस अवनीश झिंगन

माननीय श्रीमती जस्टिस शुभा मेहता

निर्णय07/02/2024अवनीश झिंगन, जे (मौखिक):-

1. यह अपील आयकर अधिनियम, 1961 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 260ए के तहत आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'आईटीएटी'), जयपुर पीठ, जयपुर के दिनांक 20.06.2019 के आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसमें अपील को खारिज कर दिया गया था और अधिनियम की धारा 271 (1)(सी) के तहत जुर्माना बरकरार रखा गया था।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता ने कर निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए 1,45,245/- रुपये की आय दर्शाते हुए आयकर रिटर्न दाखिल किया। अपीलकर्ता ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, एमआई रोड, जयपुर में बचत बैंक खाते में 25,85,000/- रुपये नकद जमा किए थे। मामले की जाँच की गई। अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत 19.03.2013 को कर निर्धारण अंतिम रूप दिया गया। निकासी के लाभ और आरंभिक नकद शेष के बाद, 15,79,000/- रुपये की वृद्धि की गई क्योंकि अपीलकर्ता स्रोत स्पष्ट करने में विफल रहा। बैंक जमा पर प्राप्त 28,418/- रुपये और शेयर व म्यूचुअल फंड में निवेश किए गए

5,00,000/- रुपये के ब्याज को जोड़ा गया।

3. आयकर आयुक्त (अपील) ने अपीलकर्ता की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए अस्पष्टीकृत नकद जमा और बैंक ब्याज को जोड़ने को बरकरार रखा, लेकिन अपीलकर्ता द्वारा किए गए 5,00,000/- रुपये के दावे के मुकाबले शेयरों और म्यूचुअल फंड में किए गए 3,30,000/- रुपये के निवेश के संबंध में राहत दी। अपीलकर्ता आई.टी.ए.टी के समक्ष अपील की मात्रा में विफल रहा। अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत शुरू की गई कार्यवाही 14.03.2016 के आदेश के तहत 6,50,000/- रुपये का जुर्माना लगाने के साथ समाप्त हुई। पहली अपील 16.11.2018 को खारिज कर दी गई और ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील का भी 20.06.2019 को यही हश्र हुआ। इसलिए वर्तमान अपील।

4. अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि यह वृद्धि नकद जमा के अधिकतम शेष को लेकर अनुमान के आधार पर की गई थी, इसलिए अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माना टिकने योग्य नहीं है।

5. उत्तरदाता के वकील ने आक्षेपित आदेश का बचाव करते हुए दलील दी कि राशि में वृद्धि अंतिम रूप ले चुकी है। यह वृद्धि बैंक खाते में जमा की गई अस्पष्टीकृत नकदी के आधार पर की गई थी और निकासी का लाभ दिया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता ने बैंक खाते में जमा राशि और बचत बैंक खाते में प्राप्त ब्याज की भी घोषणा नहीं की थी।

6. कानून के नौ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए गए हैं, तथापि, वर्तमान मामले में एकमात्र मुद्दा यह उठता है कि क्या अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के तहत जुर्माना कायम रह सकता है?

6. अपीलकर्ता ने निर्धारण वर्ष 2010-2011 से पहले के वर्षों का आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया था। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड के अनुसार, 11.06.2009 से 19.06.2009 के बीच बैंक खाते में 12,75,000/- रुपये नकद जमा किए गए और इस बीच कोई निकासी नहीं की गई। इसके बाद कर निर्धारण वर्ष के दौरान नकद जमा किए गए। अपीलकर्ता द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में खोले गए बचत बैंक खाते में नकद जमा और उस पर मिलने वाले ब्याज के संबंध में यह जानकारी दाखिल रिटर्न में घोषित नहीं की गई थी। अपीलकर्ता जमा की गई नकदी के स्रोत की व्याख्या करने में विफल रहे और की गई वृद्धि को आई.टी.ए.टी तक बरकरार रखा गया और यह अंतिम रूप से प्राप्त हो गई है। उठाया गया तर्क कि वृद्धि अनुमान पर की गई है, निराधार है। विभाग के पास उपलब्ध

सामग्री के आधार पर और अपीलकर्ता के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद निकासी को घटाने के बाद नकद जमा को जोड़ा गया था।

7. दंड आदेश को चुनौती देते समय, जमा की गई नकदी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। प्रस्तुत उत्तर में कहा गया कि आय को छिपाया नहीं गया है और कोई अस्पष्टीकृत आय नहीं है। इसमें कोई कानूनी प्रश्न, और इससे भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न, शामिल नहीं है।

8. अपील खारिज की जाती है।

(शुभा मेहता), जे

(अवनीश झिंगन), जे

चंदन/हिमांशु/52

क्या रिपोर्ट योग्य है हाँ/नहीं

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra
Advocate